"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2015—— कार्तिक 6, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-01/2013/1-10/अधी. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** .- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2015 कहलायेंगे । (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :- ये नियम, इन नियमों में यथा संलग्न अनुसूची-एक (क) तथा अनुसूची-एक (ख) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि** .- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, आयु सीमा, अर्हतायें, भर्ती के तरीके एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों में संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

   परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

4. **आरक्षण** .- (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए,आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार किए जाएंगे ।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार किए जाएंगे ।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे ।

5. **को-टर्मिनस एवं आकस्किता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को आयु में विशेष छूट** .- वर्तमान में सचिवालय में कार्यरत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले तथा को-टर्मिनस कर्मचारियों के लिये, उनके द्वारा विभिन्न अवधियों में की गई सेवा अवधियों की सीमा तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी :

परन्तु यह कि किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दी जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6. **निरर्हता** .- मंत्री संसदीय सचिव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष की इच्छानुसार उनकी निजी स्थापना में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां, की जायेगी । उक्त नियुक्ति की अवधि, उनके कार्यकाल अथवा उनके द्वारा सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी :

परन्तु यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति, भर्ती नियमों में पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं करता है और विहित आयु सीमा पूर्ण नहीं करता है तो वह भविष्य में चतुर्थ श्रेणी सेवा के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

7. **शिथिलीकरण** .- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

8. **व्यावृत्ति** .- इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी ।

9. **निरसन**.- इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

अनुसूची–एक (क)
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	भर्ती का तरीका	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फ्लोर सुपरवाईजर	3	चतुर्थ श्रेणी	पदोन्नति द्वारा	5200–20200 (ग्रेड वेतन 1900)	राज्य शासन
2.	दफ्तरी	65	–तदैव–	–तदैव–	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
3.	जमादार	7	–तदैव–	–तदैव–	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
4.	भृत्य	237	–तदैव–	सीधी भर्ती द्वारा	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	–तदैव–
5.	बुक लिफ्टर	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7400 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
6.	बुक अटेण्डेण्ट	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7400 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
7.	बुक बाईण्डर	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7400 (ग्रेड वेतन 1300)	–तदैव–
8.	बुक असिस्टेण्ट	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7400 (ग्रेड वेतन 1300)	–तदैव–

अनुसूची–एक (ख)
मंत्री स्थापना
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	भर्ती का तरीका	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			मंत्री (केबिनेट स्तर)/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कुल 7 पद			
1.	भृत्य	4	चतुर्थ श्रेणी	को–टर्मिनस (मंत्रियों की इच्छानुसार)	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	राज्य शासन
2.	जमादार	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
3.	चौकीदार (कंटीनजेंसी)	1	–तदैव–	–तदैव–	कलेक्टर दर	–तदैव–
4.	फर्राश (कंटीनजेंसी)	1	–तदैव–	–तदैव–	कलेक्टर दर	–तदैव–
			राज्य मंत्री कुल 6 पद			
1.	भृत्य	3	चतुर्थ श्रेणी	को–टर्मिनस (मंत्रियों की इच्छानुसार)	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	राज्य शासन
2.	जमादार	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
3.	चौकीदार (कंटीनजेंसी)	1	–तदैव–	–तदैव–	कलेक्टर दर	–तदैव–
4.	फर्राश (कंटीनजेंसी)	1	–तदैव–	–तदैव–	कलेक्टर दर	–तदैव–
			संसदीय सचिव कुल 4 पद			
1.	भृत्य	3	चतुर्थ श्रेणी	को–टर्मिनस (संसदीय सचिव की इच्छानुसार)	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	राज्य शासन
2.	जमादार	1	–तदैव–	–तदैव–	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	–तदैव–
			भूतपूर्व मुख्यमंत्री कुल 3 पद			
1.	भृत्य	3	चतुर्थ श्रेणी	को–टर्मिनस (भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की इच्छानुसार)	4750–7400 (ग्रेड वेतन 1300)	राज्य शासन
			भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुल 2 पद			
1.	भृत्य	2	चतुर्थ श्रेणी	को–टर्मिनस (भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष की इच्छानुसार)	4750–7400 (ग्रेड वेतन 1300)	राज्य शासन

अनुसूची–दो
(नियम 3 देखिये)

स. क्र	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण)					
1.		फ्लोर सुपरवाईजर	3	—	100%	—
2.		दफ्तरी	65	—	100%	भृत्य जो दफ्तरी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो
3.		जमादार	7	—	100%	—
4.		भृत्य	237	100%	—	—
5.		बुक लिफ्टर	1	100%	—	—
6.		बुक अटेण्डेण्ट	1	100%	—	—
7.		बुक बाईण्डर	1	100%	—	—
8.		बुक असिस्टेण्ट	1	100%	—	—

अनुसूची–तीन

(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हतायें	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय सेवा)	छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा चतुर्थ श्रेणी				
1.		भृत्य	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(एक) आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (दो) साईकिल चलाने का ज्ञान। (तीन) शुद्धलेखन की परीक्षा।	चयन समिति निम्नानुसार होगी:– (1) उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – **अध्यक्ष.** (2) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) – **सदस्य.** (3) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) – **संयोजक सदस्य.** **टीप**–50% पदों को, मंत्री, संसदीय सचिव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष की उनकी निजी स्थापना से को–टर्मिनस तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों से भरा जायेगा, जिन्होंने एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा शेष 50% पदों को सीधी भर्ती द्वारा अन्य स्त्रोतों से भरा जायेगा।
2.		बुक लिफ्टर	–तदैव–	–तदैव–	(एक) दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (दो) कम्प्यूटर का ज्ञान।	**सीधी भर्ती –** चयन समिति निम्नानुसार होगी:– (1) उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – **अध्यक्ष.**

						(2) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) – **सदस्य.** (3) वरिष्ठ ग्रंथपाल/ ग्रंथपाल सचिवालय – **सदस्य.** (3) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) – **संयोजक सदस्य.**
3.		बुक अटेण्डेण्ट	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4.		बुक बाईण्डर	–तदैव–	–तदैव–	(एक) दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (दो) शास./अर्द्ध शास./निजी संस्थान में बुक बाईण्डिग का 3 वर्ष का कार्यानुभव।	–तदैव–
5.		बुक असिस्टेण्ट	–तदैव–	–तदैव–	(एक) दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (दो) शास./अर्द्ध शास./निजी संस्थान में 3 वर्ष का कार्यानुभव।	–तदैव–

अनुसूची–चार
(नियम 3, 4 तथा 5 देखिये)

स. क्र	सेवा का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु पात्रता के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय सेवा)	दफ्तरी	फ्लोर सुपरवाईजर	5 वर्ष	(1) उप सचिव/ संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – **अध्यक्ष.** (2) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) – **सदस्य.** (3) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) – **संयोजक सदस्य.**
2.		जमादार	फ्लोर सुपरवाईजर	–तदैव–	–तदैव–
3.		भृत्य	1. दफ्तरी 2. जमादार	5 वर्ष दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु विहित प्रशिक्षण में 60% या अधिक अंक अभिप्राप्त करना चाहिये।	–तदैव–

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 2-01/2013/1-10/अधी. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

Naw Raipur, the 28th October 2015

NOTIFICATION

No. F 2-01/2013/1-10/Supdt. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Secretariat (Class-IV) Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Secretariat (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule-I (A) and Schedule-I (B), as appended to these rules.

3. **Classification and scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay atteched thereto, age limit, qualifications, method of recruitment and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedules appended to these Rules :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

4. **Reservation.-** (1) Reservation, for the posts of direct recruitment, shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

5. **Special Age Relaxation of co-terminous and contingency paid employees.-** The maximum age limit shall be relaxable to the extent the periods of service rendered in different period by them for the employees working in Secretariat at present as contingency paid employees and co-terminous :

Provided that the maximum age limit shall not exceed 45 years after giving relaxation on one or more grounds for appointment in Government service.

6. **Disqualification.-** Appointment to the post of Class-IV service shall be made at the discretion of the Minister, Parliamentary Secretary, Former Chief Minister and Former Speaker of Legislative Assembly in their personal establishment. The period of said appointment shall extent upto their tenure or termination of service by them:

Provided that if the appointed person, does not possess essential educational qualification and also does not fulfil prescribed age limit for the post in recruitment rules, then he/she shall not be eligible for regular appointment to the post of Class-IV service in future.

7. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than as provided in these rules.

8. **Saving.-** Nothing contained in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Exservicemen, Compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. **Repeal.-** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDON, Additional Secretary.

SCHEDULE- I(A)

(See rule 3)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of duty posts	Classification	Method of recruitment	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Floor Supervisor	3	Class-IV	By promotion	5200-20200 (Grade pay 1900)	State Government
2.	Daftari	65	-do-	-do-	4750-7440 (Grade pay 1400)	-do-
3.	Jamadar	7	-do-	-do-	4750-7440 (Grade pay 1400)	-do-
4.	Peon	237	-do-	By direct recruitment	4750-7440 (Grade pay 1300)	-do-
5.	Book Lifter	1	-do-	-do-	4750-7400 (Grade pay 1400)	-do-
6.	Book Attendent	1	-do-	-do-	4750-7400 (Grade pay 1400)	-do-
7.	Book Binder	1	-do-	-do-	4750-7400 (Grade pay 1300)	-do-
8.	Book Assistant	1	-do-	-do-	4750-7400 (Grade pay 1300)	-do-

SCHEDULE- I(B)
Minister Establishment
(See rule 3)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of duty posts	Classification	Method of recruitment	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MINISTER(CABINET LEVEL)/STATE MINISTER (INDEPENDENT CHARGE) TOTAL 7 POSTS						
1.	Peon	4	Class-IV	Co-terminous (At the discretion of Ministers)	4750-7440 (Grade pay 1300)	State Government
2.	Jamadar	1	-do-	-do-	4750-7440 (Grade pay 1400)	-do-
3.	Watchman (Contingency)	1	-do-	-do-	Collector Rate	-do-
4.	Furrash (Contingency)	1	-do-	-do-	Collector Rate	-do-
STATE MINISTER TOTAL 6 POSTS						
1.	Peon	3	Class-IV	Co-terminous (At the discretion of Ministers)	4750-7440 (Grade pay 1300)	State Government
2.	Jamadar	1	-do-	-do-	4750-7440 (Grade pay 1400)	-do-
3.	Watchman (Contingency)	1	-do-	-do-	Collector Rate	--do--
4.	Furrash (Contingency)	1	-do-	-do-	Collector Rate	-do-
PARLIAMENT SECRETARY TOTAL 4 POSTS						
1.	Peon	3	Class-IV	Co-terminous (At the discretion of Parliament Secretaries)	4750-7440 (Grade pay 1300	State Government
2	Jamadar	1	-do-	-do-	4750-7440 (Grade pay 1400)	-do-

EX-CHIEF MINISTER TOTAL 3 POSTS						
1.	Peon	3	Class-IV	Co-terminous (At the discretion of Ex-Chief Ministers)	4750-7400 (Grade pay 1300)	State Government
EX-CHAIRMAN VIDHANSABHA TOTAL 2 POSTS						
1.	Peon	2	Class-IV	Co-terminous (At the discretion of Ex-Chairman Vidhansabha)	4750-7440 (Grade pay 1300)	State Government

SCHEDULE-II

(See rule 3)

S.No	Name of the Department	Name of the post included in the service	Total number of duty posts	Percentage of number of the duty posts to be filled in		Remarks.
				By direct recruitment	By promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	General Administration Department (Superintendent)					
1.		Floor Supervisor	3	-	100%	-
2.		Daftari	65	-	100%	Peons who has obtained Daftari Training
3.		Jamadar	7	-	100%	-
4.		Peon	237	100%	-	-
5.		Book Lifter	1	100%	-	-
6.		Book Attendent	1	100%	-	-
7.		Book Binder	1	100%	-	-
8.		Book Assistant	1	100%	-	-

SCHEDULE- III

(See rule 3)

S. No.	Name of Department	Name of service/Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Minimum Educational / Technical Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	General Administration Department (Secretariat Service)	Chhattisgarh Secretariat Class-IV Service				
1.		Peon	18 years	30 years (35 years for domicile residents of Chhattisgarh State)	(i) Should have passed 8th Class Examination (ii) Knowledge of Cycling. (iii) Examination of correct writing.	The Selection Committee shall be as follows:- (1) Deputy Secretary/ Joint Secretary/ Additional Secretary/ Special Secretary, General Administration Department -**Chairman.** (2) Under Secretary, General Administration Department(Establishment) – **Member.** (3) Under Secretary, General Administration Department (Superintendent) – **Organizing Member.** **Note**-50% posts shall be filled from Ministers Parliamentary Secretary Former Chief Minister and Former Speaker of Legislative Assembly in their personal establishment co-terminous and contingency paid employees who has completed one year regular service and remaining 50% posts shall be filled from other sources by direct recruitment.
2.		Book Lifter	-do-	-do-	(i) Should have passed 10th Class Examination. (ii) Knowledge of Computer.	**Direct Recruitment-** The Selection Committee shall be as follows:- (1) Deputy Secretary/ Joint Secretary/ Additional Secretary/ Special Secretary, General Administration

						Department -**Chairman.** (2) Under Secretary, General Administration Department(Establishment) – **Member.** (3) Senior Librarian/ Librarian, Secretariat - **Member.** (4) Under Secretary, General Administration Department (Superintendent) – **Organizing Member.**
3.		Book Attendant	-do-	-do-	-do-	-do-
4.		Book Binder	-do-	-do-	(i) Should have passed 10th Class Examination. (ii) 3 years work experience of Book Binding in Govt./Semi Govt./ Private Insitution.	-do-
5.		Book Assistant	-do-	-do-	(i) Should have passed 10th Class Examination. (ii) 3 years work experience in Govt./Semi Govt./ Private Insitution.	-do-

SCHEDULE-IV

(See rules 3, 4 and 5)

S.No.	Name of the Service	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	General Administration Department (Secretariat Service)	Daftari	Floor Superviser	5 years	1.Deputy Secretary /Joint Secretary/Additional Secretary/Special Secretary, General Administration Department **- Chairman.** 2.Under Secretary, General Administration Department (Establishment) **-Member.** 3.Under Secretary, General Administration Department (Superintendent) **– Organizing Member.**
2.		Jamadar	Floor Supervisor	-do-	-do-
3.		Peon	1.Daftari 2.Jamadar	5 years Must have obtained 60% marks or more in prescribed training for promotion on the post of Daftari.	-do-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.